

उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड



समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी
उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०
..... ।

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर
पोस्ट बाक्स नं० 1050
कानपुर - 208 024
दूरभाष : 2582851-53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2580797
वेबसाइट : www.upsidc.com
ईमेल : feedback@upsidc.com


संदर्भ संख्या 2049-एसआईडीसी/IA/Steam Duty

दिनांक 16-02-15

विषय:- किसी उद्यमी की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसों के पक्ष में सम्पत्ति का नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

पत्र के साथ संलग्न उपरोक्त विषयक श्री अनिल कुमार, प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 17/11-क-नि०-7-15 -700(454)/2013 दिनांक 06.01.15 की प्रति आपको अनुपालनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोक्त।


(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

9
c

1/संख्या- 17/11-क0नि0-7-15-700(454)/2013

प्रेषक,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

962 I.A
21-01-15 cutch/2015/44785

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 06 जनवरी, 2015
विषय:- किसी उद्यमी की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसों के पक्ष में संपत्ति का नामांतरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 को संपन्न उद्योग बन्धु की बैठक में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है, कि किसी उद्यमी की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसों के पक्ष में संपत्ति का नामांतरण किये जाने के संबंध में विलेख एवं स्टाम्प शुल्क आदि की स्पष्टता न होने के कारण उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है।

2- उपरोक्त के क्रम में यह अनुरोध है कि उद्यमी की मृत्यु के उपरांत उसके वारिसों के पक्ष में नामांतरण का विलेख रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुरूप अनिवार्य रूप से निबन्धनीय विलेख नहीं है तथा इस पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता नहीं है। अतः ऐसी परिस्थितियों में यह उचित होगा कि जिस विभाग अथवा उसकी किसी संस्था अथवा संगठन द्वारा उस परिसंपत्ति का आवंटन किया गया है, उद्यमी के वारिसों द्वारा उसी संस्था को वारिसान प्रमाण-पत्र के साथ नामांतरण हेतु आवंटन करने पर अधिकारिक नामांतरण पत्र जारी कर दिया जाए।

3- मुझे आशा है कि इस कार्यवाही से उद्यमियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

प्रमुख सचिव।

M. (CIA)
R. (CIA)

mp

13-1-15

un(A)

mp

27-1-15